भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2545
दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

अपराधों और उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा

2545. श्री जगन्नाथ सरकारः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा किए गए उन उपायों का ब्यौरा क्या है जिससे महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में गिरावट आई है;
(ख) 'निर्भया' योजना की शुरुआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं पर राज्य-वार किस प्रकार धनराशि का उपयोग किया गया है;
(ग) सूचित/दर्ज किए गए मामलों, की गई गिरफ्तारियों, समाप्त हो चुके विचारण और दोषसिद्धि तथा लंबित मामलों का पश्चिम बंगाल सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) पश्चिम बंगाल सहित कतिपय राज्यों में वन-स्टॉप सेन्टर्स की स्थापना नहीं करने के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कारण क्या हैं; और
(ङ) क्या सरकार ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना के अंतर्गत किसी नई योजना का प्रस्ताव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : सरकार देश में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को अत्यंत महत्व दे रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

I. मंत्रालय में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी विविध नीतियों और पहलकदमियों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) के अंतर्गत एक महिला सुरक्षा प्रभाग स्थापित किया गया है।
II. यौन उत्पीड़न के विरूद्ध प्रभावशाली कानूनी निवारण के लिए सरकार ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू किया है। इस अधिनियम में ज्यादा सख्त दण्डात्मक व्यवस्था, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार की स्थिति में मृत्यु दण्ड भी शामिल है, का प्रावधान किया गया है।
III. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में, अन्य बातों के साथ-साथ सभी तरह की जांच और परीक्षण दो महीनों के भीतर किया जाना बाध्यकारी है। 19 फरवरी, 2019 को गृह मंत्रालय ने यौन अपराधियों के लिए जांच निगरानी प्रणाली (आईटीएसएसओ) नाम से पुलिस के लिए एक ऑनलाइन

विश्लेषणात्मक उपाय आरंभ किया है, जिससे कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुरूप इस तरह के मामलों की जांच पर समय-बद्ध तरीके से निगरानी रखी जा सके।

IV. विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पूरे देश में यौन अपराधियों की जांच और परीक्षण को ज्यादा आसान बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने 20 सितंबर, 2018 को यौन अपराधियों पर एक 'राष्ट्रीय डाटाबेस' आरंभ किया है। इसमें 5 लाख से अधिक यौन अपराधियों का ब्यौरा दिया गया है।

V. इमरजेंसी रिस्पोंस सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस) लागू है, जिसमें 2018-19 से 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विपदाग्रस्त इलाकों में जनसामान्य को सिंगल इमरजेंसी नंबर उपलब्ध कराए गए हैं।

VI. गृह मंत्रालय ने 20 सितंबर, 2018 को अशालीन सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों हेतु एक साइबर क्राइम पोर्टल आरंभ किया है। इसके अलावा कई राज्यों में साइबर क्राइम फॉरेंसिक लैब भी स्थापित की गई हैं और महिलाओं और बच्चों से जुड़े साइबर अपराधों की पहचान करने, उनकी जांच करने तथा उन्हें सुलझाने वाले 9183 कार्मिकों, जिसमें 987 वकील और न्यायिक अधिकारी शामिल हैं, को प्रशिक्षण दिया गया है।

VII. गृह मंत्रालय दिल्ली में महिलाओं और बच्चों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष यूनिटें सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली पुलिस को सहयोग दे रहा है। महिला पीड़िताएं बिना किसी शर्म और भय के पुलिस थानों में अपने साथ हुए अपराधों की जानकारी दें इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 54 सामाजिक कार्यकर्ताओं और परामर्शदाताओं को पुलिस थाना और उप-प्रभागीय स्तर के कार्यालयों में नियुक्त किया है। शुरू की गई अन्य गतिविधियों में महिलाओं के लिए आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, स्कूलों में गुड टच/बैड टच ट्रेनिंग कार्यक्रम, स्त्रियों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना, जेण्डर कम्यूनिकेशन तथा अपराध बहुल इलाकों में महिलाओं के लिए सॉफ्ट स्किल कार्यक्रम आदि शामिल हैं। समय पर जांच को सुकर बनाने की परियोजना के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की जांच के लिए एक हैण्डबुक प्रकाशित की है तथा उसे अपने सभी अधिकारियों के बीच परिचालित किया है।

VIII. स्मार्ट पुलिसिंग और सुरक्षित प्रबंधन में नवीनतम टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए 8 शहरों में सुरक्षित नगर परियोजना स्वीकृत की गई है, जो कि पहले चरण में है। इन 8 शहरों में अहमदाबाद, चैन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई हैं।

IX. समय पर और प्रभावी जांच पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय केंद्रीय फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज (सीएफएसएल), चंडीगढ़ में पर डीएनए विश्लेषण की एक उत्कृष्ट प्रयोगशाला स्थापित कर रहा है।

X. गृह मंत्रालय ने 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज में डीएनए विश्लेषण इकाईयां स्थापित करने व उनका स्तर बढ़ाने की स्वीकृति दी है।

XI. यौन हमलों के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने और सैक्सुअल असाल्ट फॉरेंसिक किट के लिए गृह मंत्रालय द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जनशक्ति में पर्याप्त क्षमता को सुविधाजनक बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने जांच अधिकारियों, प्रोसिक्यूशन अधिकारियों और चिकित्सा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और दक्षता निर्माण कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इसके अंतर्गत बीपीआर एंड डी तथा एनआईसी एंड एफएस द्वारा ऐसे मामलों की जांच करने, उनकी हैंडलिंग तथा फॉरेंसिक साक्ष्यों के परिवहन में संलग्न अब तक 8450 अधिकारी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में बीपीआर एंड डी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 3120 सैक्सुअल असाल्ट एवीडेंस कलैक्शन किट (एसएईसी) वितरित किए हैं।

XII. निर्भया फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की लागत से गृह मंत्रालय देश के सभी जिलों में मानव तस्करी विरोधी इकाईयां (एएसटीयू) गठित कर रहा है। एएचटीयू मानव तस्करी की पीड़िताओं की काउंसलिंग भी करेगा।

XIII. गृह मंत्रालय 100 करोड़ रुपए की लागत से सभी पुलिस थानों, जिसमें ग्रामीण इलाकों के पुलिस थाने भी शामिल हैं, महिला सहायता डेस्क की स्थापना तथा उनका सुदृढ़ीकरण कर रहा है। इस परियोजना को संबद्ध राज्य और संघ राज्य द्वारा लागू किया जाएगा। महिला सहायता डेस्क का मुख्य काम होगा कि वह पुलिसथानों को महिला के अनुकूल करे, उनके लिए सुगम और मैत्रीपूर्ण वातावरण के रूप में सुनिश्चित करे, क्योंकि पुलिस थाना ही वह पहला स्थान होता है जहां आपदा की मारी ऐसी महिलाएं मदद मांगने के लिए आती हैं। इन महिला डेस्कों में अनिवार्य रूप से महिला अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इन तैनात महिलाओं को महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इन सहायता डेस्कों में कानूनी सहायता, पीड़िता को परामर्श तथा उन्हें आसरा देने व उनके पुनर्वास तथा प्रशिक्षण जैसे मसलों पर वकीलों, मनोवैज्ञानिकों तथा गैर-सरकारी संगठनों से संबंधित आवश्यक सूचियां भी उपलब्ध होगी।

(ख) : निर्भया फंड के अंतर्गत (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार) उपयोग में लाए फंड के ब्यौरे **अनुलग्नक-I** में देखे जा सकते हैं।

(ग) : वर्ष 2018 में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले दर्ज अपराधों, उनके अंतर्गत की गई गिरफ्तारियों, पूरी की गई जांच तथा उसके अंतर्गन होने वाले निर्णयों और बकाया मामलों की राज्य/संघ राज्यवार (जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है) ब्यौरे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे **अनुलग्नक-II** में हैं।

(घ) : भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वन-स्टॉप सेंटर (ओएससीज) की स्थापना का अनुमोदन किया जा चुका है। अब तक भारत सरकार द्वारा 724 जिलों में 728 वन-स्टॉप सेंटर अनुमोदित किए जा चुके हैं, जिसमें से 680 काम कर रहे हैं। तथापि पश्चिम बंगाल में कोई वन-स्टॉप सेंटर स्थापित नहीं किया गया है। इस संबंध में पश्चिम बंगाल की सरकार से कोई सूचना आदि प्राप्त नहीं हुई है।

(ड.) : बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 0-6 आयु वर्ग में बालिकाओं की गिरती हुई जन्म दर को संभालने और बच्चियों के प्रति समाज की मानसिकता को बदलने के उद्देश्य के साथ चलाए गए एक जागरूकता अभियान के रूप में 22 जनवरी, 2015 को आरंभ हुई थी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक त्रि-मंत्रालयी प्रयास है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सभी 640 जिलों (2011 की जनगणना के अनुसार) में 08 मार्च, 2018 से लागू है। 405 जिले बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेप प्रचार तथा मीडिया घटक के द्वारा कवर किए गए हैं तथा 235 जिले केवल प्रचार और मीडिया घटक द्वारा कवर किए गए हैं। इस स्कीम के विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार हैं:- (i) लिंग आधारित पूर्वाग्रहित और पारंपरिक चयन को समाप्त करना, (ii) बालिकाओं की उत्तरजीविता और उनके संक्षरण को सुनिश्चित करना, और (iii) बेहतर तालमेल और सक्रिय प्रयासों के द्वारा बालिकाओं की शिक्षा और सामाजिक सहभागिता को सुनिश्चित करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जिला स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा लागू की जाती है। इसके अंतर्गत निधियां स्कीम के क्रियान्वयन के लिए चुने हुए 405 जिलों में सीधे अंतरित की जाती हैं। तथापि फिलहाल पहले से जारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में किसी नई स्कीम का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुलग्नक-I

"अपराधों और उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा" विषय पर 06.03.2020 को श्री जगन्नाथ सरकार द्वारा लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2545 के उत्तर के भाग (ख) में संदर्भित विवरण।

I. वन-स्टॉप सेंटर स्कीम के अंतर्गत जारी निधियों और उनकी उपयोगिता का राज्यवार ब्यौरा

(रुपयों में)

क्र.सं..	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल जारी	31.03.2019 तक उपयोग में लाई गई कुल निधियां
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	13,19,120	0	31,20,663	36,87,641	41,59,792	1,22,87,216	81,27,424
2	आंध्र प्रदेश	13,19,120	2,68,97,400	3,30,13,744	3,90,63,148	2,15,90,245	12,18,83,657	4,86,65,252
3	अरुणांचल प्रदेश	13,19,120	28,41,450	53,19,517	7,82,02,084	1,05,03,150	9,81,85,321	94,37,087
4	असम	38,84,120	75,65,800	0	7,86,95,087	5,60,61,660	14,62,06,667	1,71,48,532
5	बिहार	13,19,120	1,98,90,150	0	3,08,32,455	7,75,99,422	12,96,41,147	48,32,454
6	चंडीगढ़	13,19,120	0	0	9,30,799	15,00,450	37,50,369	6,99,469
7	छत्तीसगढ़	48,30,596	7,34,27,815	1,67,04,440	6,62,44,372	6,77,38,483	22,89,45,706	15,78,10,899
8	दादरा और नगर हवेली	43,41,482	0	43,41,482	50,000	15,14,704	1,02,47,668	43,41,482
9	दमन और दीव	45,88,047	0	0	0	58,30,799	1,04,18,846	8,07,569
10	दिल्ली	0	0	0	0	3,62,55,258	3,62,55,258	0
11	गोवा	45,88,047	19,41,450	10,84,917	4,92,000	15,00,450	96,06,864	12,11,120
12	गुजरात	45,88,047	38,82,900	1,27,15,269	5,62,69,778	5,91,99,041	13,66,55,035	56,88,731
13	हरियाणा	36,40,870	1,16,48,700	38,30,247	4,79,60,546	4,01,92,416	10,72,72,779	2,19,46,512
14	हिमाचल प्रदेश	37,68,927	0	15,00,450	1,01,18,850	1,91,49,600	3,45,37,827	32,04,400
15	जम्मू और कश्मीर	45,88,047	95,65,800	87,52,272	1,50,20,425	72,04,787	4,51,31,331	1,04,86,419
16	झारखंड	10,26,800	56,82,900	18,47,152	7,04,36,941	3,70,51,257	11,60,45,050	1,11,63,911
17	कर्नाटक	45,88,047	85,24,350	62,73,675	5,94,44,419	4,35,95,464	12,24,25,955	0
18	केरल	45,08,047	1,13,65,800	11,80,007	2,83,31,849	1,40,90,453	5,94,76,156	1,24,24,467
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	20,91,225	20,91,225	0
20	मध्य प्रदेश	45,88,047	7,73,47,650	1,31,27,264	11,23,91,390	13,78,76,213	34,53,30,564	8,21,59,196
21	महाराष्ट्र	45,88,047	2,13,55,950	4,37,69,662	3,89,29,425	4,99,55,699	15,85,98,783	86,65,050
22	मणिपुर	12,89,120	0	0	3,57,22,445	2,48,84,407	6,18,95,972	12,89,120
23	मेघालय	13,19,120	28,41,450	7,75,391	1,86,39,947	2,61,36,747	4,97,12,655	67,61,660
24	मिजोरम	37,68,927	0	61,40,951	2,72,64,535	98,40,736	4,70,15,149	76,54,026
25	नागालैंड	45,88,047	55,41,679	80,41,940	4,54,87,024	1,91,73,411	8,28,32,101	2,11,72,566
26	ओडिशा	10,28,060	15,00,450	1,20,32,854	7,74,59,998	1,18,60,672	10,38,82,034	54,46,239
27	पुडुचेरी	37,00,000	0	19,41,450	47,66,836	43,76,136	1,47,84,422	0
28	पंजाब	43,82,120	97,07,250	3,35,87,668	5,26,33,488	2,86,44,739	12,89,55,265	1,37,90,722
29	राजस्थान	12,13,120	3,41,23,174	28,95,721	3,08,60,275	6,77,11,508	13,68,03,798	3,08,72,710
30	सिक्किम	45,88,047	0	30,71,148	39,23,225	55,59,194	1,71,41,614	8,19,120
31	तमिलनाडु	45,88,047	0	38,82,900	11,39,95,447	6,64,90,319	18,89,56,713	84,70,068
32	तेलंगाना	45,88,047	1,55,31,600	3,01,72,230	5,89,48,915	5,92,64,677	16,85,05,469	3,55,80,564
33	त्रिपुरा	45,88,047	0	0	2,69,01,349	60,01,800	3,74,91,196	44,65,896
34	उत्तर प्रदेश	45,88,047	4,54,63,200	2,66,22,936	22,28,30,497	11,34,55,245	41,29,59,925	3,80,97,562
35	उत्तराखंड	13,19,120	58,24,350	1,38,86,307	2,72,25,409	2,29,07,445	7,11,62,631	3,01,01,984
36	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0

II. महिला हेल्पलाइन स्कीम के यूनिवर्सलाइजेसन के अंतर्गत जारी तथा उपयोग में लाई गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल जारी	31.03.2019 तक उपयोग में लाई गई कुल निधियां
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	17,00,000	0	0	50,94,565	34,08,000	1,02,02,565	13,435
2	आंध्र प्रदेश	51,58,000	0	0	60,60,357	34,08,000	1,46,26,357	1,06,50,357
3	अरुणांचल प्रदेश	49,70,000	0	59,50,000	81,35,911	34,08,000	2,24,63,911	1,67,83,911
4	असम	34,54,000	0	0	16,12,058	61,96,756	1,12,62,814	50,66,058
5	बिहार	62,70,000	0	38,07,000	54,94,258	46,50,000	2,02,21,258	1,33,36,258
6	चंडीगढ़	17,00,000	0	89,15,814	58,92,584	66,26,660	2,31,35,058	1,32,80,398
7	छत्तीसगढ़	51,58,000	37,91,155	63,64,000	85,35,423	34,08,000	2,72,56,578	2,04,40,578
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
9	दमन और दीव	17,00,000	0	34,08,000	0	34,08,000	85,16,000	20,63,630
10	दिल्ली	49,78,000	0	0	0	0	49,78,000	0
11	गोवा	27,90,000	0	0	0	27,71,000	55,61,000	20,74,000
12	गुजरात	62,70,000	0	1,78,80,000	89,40,000	46,50,000	3,77,40,000	2,41,50,000
13	हरियाणा	51,58,000	0	0	0	22,10,254	73,68,254	38,55,125
14	हिमाचल प्रदेश	49,70,000	0	0	0	0	49,70,000	0
15	जम्मू और कश्मीर	51,58,000	0	0	33,82,501	34,08,000	1,19,48,501	51,32,501
16	झारखंड	34,54,000	0	0	0	0	34,54,000	23,435
17	कर्नाटक	62,70,000	0	0	0	0	62,70,000	0
18	केरल	51,58,800	0	21,64,000	67,65,000	34,08,000	1,74,95,800	1,06,79,000
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	62,70,000	0	0	0	0	62,70,000	0
21	महाराष्ट्र	62,70,000	0	0	0	0	62,70,000	0
22	मणिपुर	49,70,000	0	0	0	0	49,70,000	49,70,000
23	मेघालय	49,70,000	0	0	32,70,000	34,08,000	1,16,48,000	49,70,000
24	मिजोरम	51,08,000	0	85,20,000	85,20,000	34,08,000	2,55,56,000	1,87,40,000
25	नागालैंड	49,70,000	29,11,529	76,33,204	68,16,000	34,08,000	2,57,38,733	1,89,22,733
26	ओडिशा	28,86,000	0	30,16,793	98,65,173	34,08,000	1,91,75,966	1,40,63,966
27	पुडुचेरी	0	0	0	51,08,000	0	51,08,000	0
28	पंजाब	28,86,000	0	0	27,19,498	34,08,000	90,13,498	28,86,000
29	राजस्थान	62,70,000	0	0	0	46,50,000	1,09,20,000	0
30	सिक्किम	47,25,000	0	0	33,80,782	34,08,000	1,15,13,782	47,25,000
31	तमिलनाडु	62,70,000	0	0	46,50,000	46,50,000	1,55,70,000	62,70,000
32	तेलंगाना	28,86,000	0	0	0	1,28,39,001	1,57,25,001	28,86,000
33	त्रिपुरा	49,70,000	0	0	0	0	49,70,000	0
34	उत्तर प्रदेश	62,70,000	0	40,11,000	88,54,892	46,50,000	2,37,85,892	1,46,65,892
35	उत्तराखंड	43,10,000	0	46,79,000	57,61,087	60,40,147	2,07,90,234	1,39,74,234
36	पश्चिम बंगाल	62,70,000	0	0	0	0	62,70,000	0

III. महिला पुलिस वॉलिंटियर्स स्कीम के अंतर्गत जारी तथा उपयोग में लाई गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा

(रुपयों में)

क्र. सं.	राज्य	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल जारी	31.03.2019 तक उपयोग में लाई गई कुल निधियां
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	5,50,800	5,50,800	0
2	आंध्र प्रदेश	75,81,600	0	4,45,57,200	0	5,21,38,800	75,81,600
3	छत्तीसगढ़	0	7,15,55,040	0	0	7,15,55,040	1,52,78,388
4	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	2,70,000	2,70,000	0
5	गुजरात	0	76,20,120	0	0	76,20,120	41,65,418
6	हरियाणा	77,51,520	0	0	0	77,51,520	77,51,520
7	झारखंड	0	0	2,64,000	0	2,64,000	0
8	कर्नाटक	0	56,13,120	0	0	56,13,120	0
9	मध्य प्रदेश	0	30,17,880	0	0	30,17,880	0
10	मिजोरम	0	35,84,820	0	0	35,84,820	0
11	नागालैंड	0	0	0	9,39,600	9,39,600	0
12	त्रिपुरा	0	0	0	30,16,440	30,16,440	0
13	उत्तराखंड	0	0	0	68,81,760	68,81,760	0

IV. निर्भया फंड से निधि प्राप्त राज्यों/संघ राज्य परियोजनाओं का ब्यौरा

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	उपयोगिता
1	मध्य प्रदेश	0.00	104.70	0.00	0.00	0.00
2	नागालैंड	0.00	255.60	0.00	0.00	255.60
3	राजस्थान	23.00	253.00	195.00	0.00	108.89
4	उत्तराखंड	0.00	32.40	0.00	0.00	30.15

V. गृह मंत्रालय

निर्भया फंड परियोजना के लिए उपयोग में लाई गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा

(रुपए लाखों में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ईआरएसएस	सेफ सिटी प्रो.	एसएफएसएल का सुदृढ़ीकरण	सीवीसीएफ	सीसीपीडब्ल्यूसी	दिल्ली पुलिस द्वारा परियोजनाएं
1	आंध्र प्रदेश	980.50	0.00	0.00	662.00	442.50	-
2	अरुणाचल प्रदेश	571.31	0.00	0.00	33.00	164.55	-
3	असम	841.02	0.00	0.00	860.00	418.70	-
4	बिहार	1229.60	0.00	0.00	722.00	307.00	-
5	छत्तीसगढ़	787.40	0.00	0.00	685.00	259.10	-
6	गोवा	563.99	0.00	0.00	50.00	162.60	-
7	गुजरात	1257.85	9442.00	0.00	390.00	345.25	-
8	हरियाणा	920.02	0.00	0.00	550.00	253.37	-
9	हिमाचल प्रदेश	499.82	0.00	729.00	120.00	168.55	-
10	जम्मू और कश्मीर	742.72	0.00	173.50	170.00	169.80	-
11	झारखंड	937.89	0.00	0.00	450.00	181.92	-
12	कर्नाटक	1004.99	16726.00	0.00	995.00	446.10	-
13	केरल	776.77	0.00	0.00	760.00	435.00	-
14	मध्य प्रदेश	1418.71	0.00	433.00	2180.00	285.25	-
15	महाराष्ट्र	1284.66	14364.00	2685.00	1765.00	458.40	-
16	मणिपुर	473.01	0.00	495.00	34.00	162.75	-
17	मेघालय	490.88	0.00	0.00	50.00	162.00	-
18	मिजोरम	464.07	0.00	366.63	48.00	162.00	-
19	नागालैंड	516.80	0.00	0.00	10.00	170.75	-
20	ओडिशा	1004.99	0.00	0.00	1060.00	381.82	-
21	पंजाब	983.56	0.00	798.00	410.00	254.52	-
22	राजस्थान	1073.13	0.00	628.00	1545.00	441.07	-
23	सिक्किम	428.33	0.00	0.00	23.00	162.00	-
24	तेलंगाना	1013.93	12308.00	0.00	590.00	433.95	-
25	तमिलनाडु	1022.86	24078.00	244.00	565.00	299.50	-
26	त्रिपुरा	464.07	0.00	211.00	115.00	163.50	-
27	उत्तर प्रदेश	1595.00	6289.00	775.00	2810.00	470.85	-
28	उत्तराखंड	662.29	0.00	0.00	125.00	165.98	-
29	पश्चिम बंगाल	930.14	4757.00	239.00	1265.00	431.75	-
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	314.58	0.00	0.00	15.00	161.75	-
31	चंडीगढ़	401.52	0.00	0.00	23.00	160.75	-
32	दादरा एवं नगर हवेली	401.52	0.00	0.00	10.00	160.00	-
33	दमन और दीव	410.45	0.00	0.00	10.00	160.00	-
34	दिल्ली (केंद्र शासित)	2400.00	33327.00	330.00	880.00	251.12	2453.00
35	लक्षद्वीप	296.71	0.00	0.00	10.00	160.00	-
36	पुडुचेरी	323.41	0.00	0.00	10.00	162.75	-

नोट : संबद्ध राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीड़िता की क्षतिपूर्ति स्कीमों में सहयोग और अनुपूरक सहायता के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीवीसीएफ द्वारा एक बार दिए जाने वाले अनुदान के रूप में जारी किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस फंड से व्यय करने की अनुमति तभी होती है जब वे अपने नॉन बजटीय संसाधनों का पूरा उपयोग करलें।

VI. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	उपयोगिता
1	आन्ध्र प्रदेश	0.00	5864.00	0.00	0.00	0.00
2	उत्तर प्रदेश	0.00	4020.00	0.00	0.00	3110.00
3	कर्नाटक	0.00	0.00	3364.00	0.00	383.00

VII. न्याय विभाग

फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के गठन के लिए निर्भया फंड के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधि

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां	उपयोग में लाई गई निधियां
1	आंध्र प्रदेश	0.30	0.00
2	असम	1.69	0.00
3	बिहार	2.03	0.00
4	छत्तीसगढ़	1.69	0.00
5	दिल्ली	1.80	0.00
6	गुजरात	3.94	0.00
7	नागालैंड	0.34	0.00
8	महाराष्ट्र	31.05	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	0.17	0.00
10	झारखंड	4.95	0.00
11	कर्नाटक	6.98	0.00
12	केरल	6.30	0.00
13	मध्य प्रदेश	15.08	0.00
14	मणिपुर	0.68	0.00
15	मेघालय	0.28	0.00
16	ओडिशा	5.40	0.00
17	पंजाब	1.35	0.00
18	हरियाणा	1.80	0.00
19	चंडीगढ़ प्रशासन	0.19	0.00
20	राजस्थान	5.85	0.00
21	तमिलनाडु	0.53	0.00
22	त्रिपुरा	1.01	0.00
23	तेलंगाना	1.35	0.00
24	उत्तर प्रदेश	2.78	0.00
25	उत्तराखंड	1.35	0.00
26	मिजोरम	0.51	0.00
27	गोवा	0.07	0.00

अनुलग्नक-II

"अपराधों और उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा" विषय पर 06.03.2020 को श्री जगन्नाथ सरकार द्वारा लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2545 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित विवरण।

एनसीआरबी की रिपोर्ट 2018 के अनुसार वर्ष के अंत तक महिलाओं के विरूद्ध हुए अपराधों के दर्ज मामलों (सीआर), उसमें निरूद्ध अपराधियों (पीएआर), पूरी की गई जांच (सीटीसी), तथा सजा प्राप्त अपराधियों (सीओएन) और परीक्षण के लिए बकाया मामलों (सीपीटीईवाई) के राज्य/संघ राज्यवार ब्यौरे।

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2018				
		सीआर	पीएआर	सीटीसी	सीओएन	सीपीटीईवाई
1	आंध्र प्रदेश	16438	22583	9644	772	34253
2	अरुणाचल प्रदेश	368	335	27	9	2358
3	असम	27728	30119	8957	301	56247
4	बिहार	16920	18143	1692	473	74099
5	छत्तीसगढ़	8587	9914	4462	1527	23317
6	गोवा	362	308	148	15	1438
7	गुजरात	8329	15068	2883	110	81138
8	हरियाणा	14326	12256	5420	925	20580
9	हिमाचल प्रदेश	1633	1708	391	58	6509
10	जम्मू और कश्मीर	3437	4553	1431	75	12219
11	झारखंड	7083	6687	2131	557	16667
12	कर्नाटक	13514	22136	6818	525	54224
13	केरल	10461	12380	5225	799	61420
14	मध्य प्रदेश	28942	33210	15963	5675	85063
15	महाराष्ट्र	35497	43375	11550	1529	192200
16	मणिपुर	271	282	30	13	675
17	मेघालय	571	496	106	33	2362
18	मिजोरम	249	306	61	55	580
19	नागालैंड	75	64	29	26	151
20	ओडिशा	20274	14844	5595	463	100649
21	पंजाब	5302	5599	2422	532	7582
22	राजस्थान	27866	18130	9474	3695	75882
23	सिक्किम	172	188	93	36	206
24	तमिलनाडु	5822	8671	4191	815	18932
25	तेलंगाना	16027	13568	5791	632	35894
26	त्रिपुरा	907	827	359	55	4106
27	उत्तर प्रदेश	59445	80137	14604	8805	164720
28	उत्तराखंड	2817	2176	254	132	6244
29	पश्चिम बंगाल	30394	21867	6611	348	256459
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	147	166	41	9	805
31	चंडीगढ़	442	386	159	69	678
32	दादरा एवं नगर हवेली	38	52	50	3	95
33	दमन और दीव	16	27	15	5	81
34	दिल्ली	13640	14247	2343	774	51369
35	लक्षद्वीप	11	10	0	0	31
36	पुडुचेरी	166	76	15	6	540

स्रोत :भारत में अपराध

नोट : पश्चिम बंगाल, असम, अरूणांचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम से 2018 के स्पष्टीकरण अभी बकाया हैं।

*****